पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 09.10.2020

1-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तारः

दिनांक 08.10.2020 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना में शामिल अभियुक्त सौरभ चौधरी पुत्र मनोज चौधरी निवासी ग्राम भगवानपुर बांगर थाना किठौर जिला मेरठ वर्तमान पता कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र सूरजपुर के मलकपुर गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

सौरभ पुत्र मनोज चौधरी नि0 ग्राम भगवानपुर बांगर थाना किठौर जिला मेरठ वर्तमान पता कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0स0 740/20 धारा 380,411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाइल फोन सैमसंग

2- थाना ईकोटेक प्रथम द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद :

दिनांक 09.10.2020 को थाना ईकोटेक-1 पुलिस द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने वाला एक अभियुक्त अंकित पुत्र धनपाल निवासी ग्राम दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त एक लोहे का पाईप बरामद हुआ है।

घटना का विवरण:

दिनांक 23.09.2020 को श्री राम निवास पुत्र श्री महर चन्द निवासी ग्राम दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका पुत्र सोनू एवं गांव का ही अंकित पुत्र धनपाल जो फ़ॉर सिक्योरिटी मे नौकरी करते थे,दिनांक 22.09.2020 की रात्री को मून राइज प्रा0लिमिटेड बी-03/1 औद्योगिक क्षेत्र थाना ईकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर मे डयूटी करने गये थे । रात्रि मे अज्ञात बदमाशो द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसमे वादी के पुत्र सोनू की मृत्यु हो गयी थी और अंकित गंभीर रुप से घायल हो गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/2020 धारा 302/323 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसका सफल अनावरण करते हुए थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा घटना में घायल अंकित के द्वारा ही घटना कारित करना पाया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

अंकित पुत्र धनपाल निवासी दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0सं0 150/2020 धारा 302/323 भादवि थाना ईकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

एक लोहे का पाईप

3- थाना जेवर पुलिस द्वारा रंगदारी माँगने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से रंगदारी मे ली गई एक कार बरामद:

दिनाँक 09.10.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 459/2020 धारा 386 भादवि मे वांछित रंगदारी माँगने वाले 02 वांछित अभियुक्त 1. नीरज पुत्र धर्मपाल निवासी मौहल्ला माडलपुरिया

कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धगनर 2. टिंकू पुत्र धर्मपाल निवासी मौहल्ला माडलपुरिया कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धगनर को जेवर थाना क्षेत्र के चोरोली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से रंगदारी मे ली गई एक कार स्विफ्ट डिजायर नम्बर एचआर 51 एई 1683 बरामद हुई है।

अभियुक्तो का विवरण-

1. नीरज पुत्र धर्मपाल निवासी मौहल्ला माडलपुरिया कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धगनर।

2. टिंकू पुत्र धर्मपाल निवासी मौहल्ला माडलपुरिया कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धगनर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्त नीरज

1. मु0अ0स0 358/2016 धारा 302 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

2. मु0अ0स0 359/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

3. मु0अ0स0 259/2017 धारा 120बी,342,363,366,376डी,406,504,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

4. मु0अ0स0 495/2017 धारा 307 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

5. मु0अ0स0 496/2017 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

6. मु0अ0स0 567/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

7. मु0अ0स0 404/2018 धारा 323,452,504 व 506 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

8. मु0अ0स0 459/2020 धारा 386 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त टिंकू

1. मु0अ0स0 358/2016 धारा 302 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

2. मु0अ0स0 259/2017 धारा 120बी,342,363,366,376डी,406,504,506 भादवि व 3 /4 पॉक्सो अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

3. मु0अ0स0 495/2017 धारा 307 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

4. मु0अ0स0 497/2017 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

5. मु0अ0स0 567/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक कार स्विफ्ट डिजायर नम्बर एचआर 51 एई 1683

4- थाना जेवर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अभद्र/अमर्यादित टिप्पणी पोस्ट करने वाला एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनाँक 09.10.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी पोस्ट करने वाला एक वांछित अभियुक्त योगेश चैधरी उर्फ शिव प्रताप पुत्र जीतराम निवासी ग्राम चैरोली थाना जेवर गौतमबुद्धनगर को वैना पुलिया कस्बा जेवर से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरणः दिनाँक 05.10.2020 को श्री अशोक शर्मा मण्डल अध्यक्ष भाजपा जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ने एक अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अभद्र/आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना जेवर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 457/2020 धारा 153-ए, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना जेवर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

1. योगेश चैधरी उर्फ शिव प्रताप पुत्र जीतराम निवासी ग्राम चैरोली थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1 मु0अ0स0 214/2018 धारा 307,504 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

2. मु0अ0स0 457/2020 धारा 153-ए 504 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

5- थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म के वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:

दिनाँक 09.10.2020 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 188/20 धारा 376डी, 342 भादवि व धारा 5(छ)/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत वांछित अभियुक्तो 1. अर्जुन पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम फलैन्दा थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर 2. राकेश पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम फलैन्दा थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर को फलैन्दा अंडरपास के ऊपर यमुना एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र रबूपुरा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तो का विवरण-

1.अर्जुन पुत्र गजराज सिंह ग्राम फलैन्दा थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

2.राकेश पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम फलैन्दा थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0स0188/20 धारा 376डी, 342 भादवि व धारा 5(छ)/6 पोक्सो अधि0 थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 नोएडा मे पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर श्री आलोक सिंह द्वारा गोष्ठी आयोजित कर दिये आवश्यक दिशा निर्देशः

दिनांक 09.10.2020 को पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 नोएडा में पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर महोदय द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अनवर्कआउट केसों की समीक्षा की गयी तथा अनावरण करने व गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति की नियमानुसार जब्ती की कार्यवाही तथा

आबकारी सम्बन्धी विवेचनायें फारवर्ड एवं बैकवर्ड इंटीग्रेटेड करते हुये किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए । महिला सम्बन्धित अपराधों मे 15 केस निर्धारित किये गये है जिनकी माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी हेतु सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित किये गये।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा समस्त अधिकारिगणों को निकट भविष्य मे होने वाले प्रधान पद के चुनाव एवं आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत सतर्कता बरतने व समय समय पर चैकिंग अभियान चलाकर चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से शराब व अन्य साधनो के उपयोग पर अंकुश लगाते हुये प्रभावी कार्यवाही करने व कोविड-19 जैसी महामारी को ध्यान मे रखते हुये त्यौहारों पर सोशल डिस्टैंसिग का पालन तथा सैनेटाइजर, मास्क आदि का उपयोग करने हेतु जनता से अपील की जाये व कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम मे पुलिस की विजबिलिटी के साथ सक्रियता को भी बढाने हेतु सम्बन्धित अधिकारिगणों को निर्देशित किया गया तथा पीआरवी के रेस्पांस टाइम कम करने हेतु जनशक्ति बढाये जाने के संबंध के अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय को निर्देशित किया गया। क्षेत्र मे संचालित ऐप बेस्ड व नाॅन ऐप बेस्ड कैब्स के सत्यापन हेतु एवं ओयो व इसी प्रकार के होटल व गेस्ट हाउस की सुरक्षा के दृष्टिकोंण से अभियान चलाकर आकस्मिक चैकिंग करने हेतु सम्बन्धित पुलिस उपायुक्तगण को दिशा निर्देश दिये गये। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री लव कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय सुश्री श्रीपर्णा गांगुली तथा सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा एक गुमशुदा बालक बरामद :

दिनांक 09.10.2020 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस टीम द्वारा एक गुमशुदा बालक दिलखुश उम्र करीब 11 वर्ष को मथुरा स्थित राजकीय बालशिशु गृह मथुरा से बरामद किया गया है। गुमशुदा बालक दिलखुश बचपन से ही बोल नही पाता है और मानसिक रुप से अस्वस्थ है । गुमशुदा बालक दिलखुश के गायब होने के सम्बन्ध मे उसके पिता उपेन्द्र ने थाना एक्सप्रेस वे पर दिनांक 19.05.20 को मु0अ0स0 187/20 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था । जिस पर थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बालक को जनपद मथुरा के राजकीय बालशिशु गृह मथुरा से बरामद किया गया। गुमशुदा बालक के परिजनो द्वारा पुलिस का बहुत आभार प्रकट किया गया।

बरामद बालक का विवरणः

दिलखुश कुमार पुत्र उपेन्द्र निवासी शिकंदरपुर थाना कहलगाव जिला भागलपुर बिहार वर्तमान पता नंगली लेबर कैंप सेक्टर 133 नोएडा गौतमबुद्धनगर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0स0 187/20 धारा 363 भा0द0वि0